

**AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA**  
**O/o Member (Planning)**

Ref No. AAI/Member (Plg.)/Tech-Inst./2023/P-185/123

Date: 11<sup>th</sup> July, 2023  
12

**Technical Instruction No. 125**

**Subject: Systemic Improvement i.r.o. Vigilance Observations- Reg.**


1. In one of the instances certain procedural improvements have been advised by CVC for systematic Improvements in monitoring of project works through PMC and execution of Extra/ Substitute Items by AAI.
2. Accordingly following shall be followed in projects work:
  - i. Deployment of PMC does not absolve the project executing authority of the responsibility to supervise the quality and timelines execution of the project work, which shall primarily be the responsibility of the officials designated with such responsibility.
  - ii. Quality in PMC contracts is largely dependent upon deployment and performance of key personnel/ professionals, during execution of the contract. Accordingly, for effective control over PMC, the following Clause should be incorporated in SCC (Special Condition of Contract) of PMC tender documents:

**Clause-**

**Substitution of Key Personnel/ Professionals/ Associate firms**

1. *The PMC agency shall not change any Key Personnel/ Professionals/ Specialist consultants/ Sub-consultants/ associates firms, based upon whose credentials, the PMC agency has been technically qualified, till completion of the stage assignment/ project, unless change is required due to unavoidable circumstances.*
2. *Substitution of Key personnel/ Professionals to be engaged as per NIT can be allowed with following conditions:*
  - a) *Substitution of key personnel/ professionals can be allowed in compelling or unavoidable situations only and the substitute shall be of equivalent or higher credentials. Such substitution shall be limited to not more than 30% of total key personal, subject to equally, or better, qualified and experienced personnel being provided to the satisfaction of the procuring entity.*
  - b) *Replacement of first 10% of key personnel/ professionals shall be subject to penalty/reduction of remuneration. The penalty/ reduction of remuneration shall be 5% of the remuneration which would have been paid to the original personal, from the date of the replacement till completion of pre-defined stage/ contract.*

- c) *In case of the next 10% replacement, the reduction in remuneration shall be equal to 10% (ten percent) and for the third 10% replacement such reduction shall be equal to 15% (fifteen percent).*
3. *Substitution of Sub-consultant/ associates firms can be allowed one time only during contract period with approval of AAI and with penalty of Rs. 5.00 lakh each case of specialist consultant/ Sub-consultant/ associate firm.*
3. Powers for ordering deviations and Extra/ Substitute items are delegated to various officers as per DoP para 8.10 and 8.11 alongwith procedures to be followed as per works manual. However, concerned TS authorities are advised to periodically appraise and inform to tender accepting authorities of major deviations in project beyond scope of work/ deviation limit exceeds 30% of contract value.
4. The above procedure may be brought to the notice of all the concerned for strict compliance.
5. All Technical Circulars/ Technical Instructions issued are available at AAI website under following path:  
[www.aai.aero/en](http://www.aai.aero/en) ==> Emp. Login ==> Circular & Orders ==> Dept. (Engineering) ==> Circular Types (Technical Instructions) ==> Search

  
12.07-23  
**(A. K. Pathak)**  
**Member (Planning)**

Distribution: As per standard list

**भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**  
**सदस्य (योजना) का कार्यालय**

संदर्भ संख्या भाविप्रा/सदस्य (यो.)/टेक-इंस्ट./2023/घा-185/23 दिनांक: 12 जुलाई, 2023

**तकनीकी निर्देश संख्या- 125**

**विषय: सतर्कता टिप्पणियों के संबंध में योजनाबद्ध सुधार।**

1. भाविप्रा द्वारा पीएमसी के माध्यम से परियोजना कार्यों के निगरानी और अतिरिक्त/स्थानापन्न आइटमों के उपयोग संबंधी व्यवस्थित सुधार हेतु सीवीसी द्वारा एक उदाहरण के माध्यम से प्रक्रियागत सुधारों के लिए सलाह दी गई है।
2. तदनुसार परियोजना कार्य में निम्नलिखित का पालन किया जाए:
  - i. पीएमसी की तैनाती, परियोजना निष्पादन प्राधिकारी को परियोजना कार्य, जो मुख्य रूप से ऐसी जिम्मेदारी के लिए नामित अधिकारियों की जिम्मेदारी है, की गुणवत्ता और समयबद्ध निष्पादन की निगरानी करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती है।
  - ii. संविदा के निष्पादन के दौरान पीएमसी संविदाओं में गुणवत्ता काफी हद तक प्रमुख कार्मिकों/पेशेवर व्यक्तियों की तैनाती और कार्य निष्पादन पर निर्भर करती है। तदनुसार पीएमसी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निम्नलिखित शर्त पीएमसी निविदा दस्तावेजों के एससीसी (संविदा की विशेष शर्त) में शामिल किया जाना चाहिए:

**शर्त**

**प्रमुख कार्मिक/पेशेवर व्यक्तियों /एसोशिएट फर्मों का प्रतिस्थापन**

1. पीएमसी एजेंसी, जब तक कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बदलाव की आवश्यकता न हो, स्टेज असाइनमेंट/ परियोजना के पूरा होने तक किसी भी प्रमुख कार्मिक/ पेशेवर व्यक्ति /विशेषज्ञ सलाहकार/ उप-सलाहकार/सहयोगी फर्मों, जिनकी साख के आधार पर पीएमसी एजेंसी तकनीकी रूप से योग्य है, को नहीं बदलेगी।
2. एनआईटी के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले प्रमुख कार्मिकों/ पेशेवरों के प्रतिस्थापन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जा सकती है:
  - क) प्रमुख कार्मिकों/ पेशेवरों के प्रतिस्थापन की अनुमति केवल अनिवार्य या अपरिहार्य स्थितियों में ही दी जा सकती है और प्रतिस्थापन समकक्ष या उच्च योग्यता वाले स्तर का होना चाहिए। इस तरह का प्रतिस्थापन कुल मुख्य कार्मिकों के 30% तक की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए बशर्ते कि खरीद इकाई की संतुष्टि के लिए समान रूप से या बेहतर, योग्य और अनुभवी कर्मियों को उपलब्ध कराया जाए।

- ख) पहले 10% प्रमुख कार्मिकों/ पेशेवर व्यक्तियों का प्रतिस्थापन, जुर्माना/ पारिश्रमिक में कटौती के अधीन होगा। जुर्माना/ पारिश्रमिक में कटौती उस पारिश्रमिक का 5% होगी जो प्रतिस्थापन की तारीख से पूर्व-निर्धारित चरण/संविदा के पूरा होने तक मूल कार्मिक को भुगतान किया गया होगा।
- ग) अगले 10% प्रतिस्थापन के मामले में, पारिश्रमिक में कटौती 10% (दस प्रतिशत) के बराबर होगी और तीसरे 10% प्रतिस्थापन के लिए ऐसी कटौती 15% (पंद्रह प्रतिशत) के बराबर होगी।
3. विशेषज्ञ सलाहकार/ उप-परामर्शदाता/ सहयोगी फर्म के प्रत्येक मामले में उप-परामर्शदाता/ सहयोगी फर्मों के प्रतिस्थापन की अनुमति संविदा अवधि के दौरान रुपये 5.00 लाख के जुर्माने सहित भाविप्रा के अनुमोदन से केवल एक बार प्रदान की जा सकती है।
3. वर्क्स मैनुअल के अनुसार पालन किए जाने वाली प्रक्रियाओं के साथ डीओपी पैरा 8.10 और 8.11 के अनुसार परिवर्तन और अतिरिक्त/स्थानापन्न मर्दों के आदेश देने की शक्तियां विभिन्न अधिकारियों को सौंपी गई हैं फिर भी संबंधित टीएस अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे परियोजना में कार्य-क्षेत्र से मुख्य परिवर्तन सीमा संविदा मूल्य के 30% से अधिक होने पर समय-समय पर मूल्यांकन करें और निविदा स्वीकार करने वाले अधिकारियों को सूचित करें।
4. उक्त प्रक्रिया के कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।
5. जारी किए गए सभी तकनीकी परिपत्र/ तकनीकी निर्देश निम्नलिखित पाथ के अंतर्गत भाविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:
- [www.aai.aero/en](http://www.aai.aero/en) => कर्मचारी लॉगिन => परिपत्र और आदेश => विभाग (इंजीनियरिंग) => परिपत्र का प्रकार (तकनीकी निर्देश) => सर्च

आजिजपाठक  
(ए.के. पाठक) 14.7.23  
सदस्य (योजना)

वितरण: मानक सूची के अनुसार

नोट: हिन्दी अनुवाद में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अंग्रेज़ी पाठ अधिकृत माना जाएगा।

## Distribution List

1. EA to Chairman, AAI, CHQ
2. Member (Finance), AAI, CHQ
3. Member (Ops.), AAI, CHQ
4. Member (Plg.), AAI, CHQ
5. Member (HR), AAI, CHQ
6. Member (ANS), AAI, CHQ
7. Chief Vigilance Officer, AAI, CHQ
- 8-12. Executive Director (Engg), AAI, Northern Region/ Western Region/ Eastern & North Eastern Region/Southern Region/ MIS & Standardization, CHQ
13. Executive Director (Land Management/ BD), AAI, CHQ
14. Executive Director (PMQA) AAI, CHQ,
- 15-19. Regional Executive Director, AAI, Northern Region/Western Region/ Eastern Region/ Southern Region/ North Eastern Region
- 20-21. Executive Director (CNS-Plg.)-I/II, AAI, CHQ
22. Executive Director (CNS-OM), AAI, CHQ
23. Executive Director (FIU & RCDU), AAI, CHQ
- 24-27. Executive Director (ATM)/ ATM-ASM/ ATM-AFTM/ ATM-CAP, AAI, CHQ
28. Executive Director (Plg.) AAI, CHQ
29. Executive Director (Ops.) AAI, CHQ
30. Executive Director (JVC)AAI, CHQ
31. Executive Director (Avn. Safety), AAI, CHQ
32. Executive Director(Arch.), AAI, CHQ
33. Executive Director(Admin), AAI, CHQ
- 34-35. Executive Director(Finance)- I/II, AAI CHQ
36. Executive Director(Commercial), AAI CHQ
37. Executive Director(IT), AAI, CHQ
38. Director(Security), AAI, CHQ
39. Executive Director(Tech.), AAI, CHQ
40. Executive Director(SIU), AAI, CHQ
41. Executive Director(RCS), AAI, CHQ
42. Principal (C.A.T.C), Allahabad
43. Director (I.A.A), AAI, Rangpuri
- 44-46. Airport Director, AAI, Kolkata/Chennai/Trivandrum Airports
47. GM (Vigilance) AAI, CHQ
48. GM (Law) AAI, CHQ
49. GM (C&C) AAI, CHQ
50. GM (BDC), AAI, CHQ
- 51-52. GM Engg (project) AAI, Kolkata Project/ Chennai Project
- 53-60. GM Engg (Civil/Electrical), AAI, Northern Region/Western Region/ Southern Region/ Eastern &North Eastern Region, CHQ
- 61-72. GM Engg (Project)/project in-charge, AAI, Port Blair/ Patna/ Hollongi/ Leh/ Dehradun/ Vijayawada/ Trichy/ Rajahmundry/ Guwahati/Rajkot/ Pune/ Jabalpur Airport.
- 73-76. GM: PMQA / Planning / RCS / Airport System, CHQ
- 77-81. GM Engg, AAI, Northern Region/Western Region/ Eastern Region/ Southern Region/ North Eastern, RHQ.
82. GM (IT), Safdarjung Airport
- 83-92. MIS (Civil) & MIS (Electrical)-NR/SR/WR/ER/NER, AAI, CHQ

## वितरण सूची

1. अध्यक्ष के विशेष कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
2. सदस्य (वित्त), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
3. सदस्य (प्रचालन), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
4. सदस्य (योजना), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
5. सदस्य (मानव संसाधन), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
6. सदस्य (ए एन एस), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
7. मुख्य सतर्कता अधिकारी, भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 8-12 कार्यपालक निदेशक (अभि.) भा.वि.प्रा., उत्तरी क्षेत्र / पश्चमी क्षेत्र / पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र / दक्षणी क्षेत्र / एम आई एस एवं मानकीकरण निगमित मुख्यालय
- 13 कार्यपालक निदेशक (भूमि प्रबंधन/बी डी), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 14 कार्यपालक निदेशक (परियोजना अनुवीक्षण एवं गुणवत्ता आश्वसन), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 15-19 क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, भा.वि.प्रा., उत्तरी क्षेत्र / पश्चमी क्षेत्र / पूर्वी क्षेत्र / दक्षणी क्षेत्र / उत्तर पूर्वी क्षेत्र।
- 20-21 कार्यपालक निदेशक, (संचार दिक्चालन व निगरानी) -(योजना)-I/II, भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 22 कार्यपालक निदेशक, (संचार दिक्चालन व निगरानी) -(ओ.एम.), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 23 कार्यपालक निदेशक, (आर सी डी यू & एफ आइ यू), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 24-27 कार्यपालक निदेशक, (ए.टी.एम.)/एटीएम-एएसएम/एटीएम-एफटीएम/एटीएम-केप, भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 28 कार्यपालक निदेशक (योजना), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 29 कार्यपालक निदेशक (प्रचालन), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 30 कार्यपालक निदेशक (जेवीसी), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 31 कार्यपालक निदेशक (एवि. सेफटी), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 32 कार्यपालक निदेशक (आर्क), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 33 कार्यपालक निदेशक (प्रशासनिक), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 34-35 कार्यपालक निदेशक (वित्त)- I / II, भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 36 कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 37 कार्यपालक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 38 निदेशक (सुरक्षा), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 39 कार्यपालक निदेशक (तकनीकी), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 40 कार्यपालक निदेशक (एसआईयू), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 41 कार्यपालक निदेशक (आरसीएस), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 42 प्रधानाचार्य (सी ए टी सी), इलाहबाद।
- 43 निदेशक, (आई.ए.ए), भा.वि.प्रा., रंगपुरी।
- 44-46 विमानपत्तन निदेशक, भा.वि.प्रा., कोलकाता/चेन्नई/त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन।
- 47 महाप्रबंधक (सतर्कता), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 48 महाप्रबंधक (विधि), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 49 महाप्रबंधक (सी.एव.सी.), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 50 महाप्रबंधक (बिजनस विकास एकक), भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।
- 51-52 महाप्रबंधक (अभि. -प्रोजेक्ट), भा.वि.प्रा., कोलकाता प्रोजेक्ट / चेन्नई प्रोजेक्ट।
- 53-60 महाप्रबंधक (अभि) (सिविल/ विद्घुत), भा.वि.प्रा.उत्तरी क्षेत्र / पश्चमी क्षेत्र/ दक्षणी क्षेत्र / पूर्वी एंड उत्तर पूर्वी क्षेत्र, निगमित मुख्यालय।
- 61-72 महाप्रबंधक (अभि-प्रोजेक्ट)/प्रोजेक्ट इंचार्ज, भा.वि.प्रा., पोर्ट ब्लेयर / पटना / होलोगी / लेह / देहरादून / विजयवाड़ा / त्रिची / राजमुंदरी / गुवाहाटी / राजकोट / पुणे / जबलपुर हवाई अड्डा।
- 73-76 महाप्रबंधक (परियोजना अनुवीक्षण एवं गुणवत्ता आश्वसन)/ योजना/आर सी एस / एयरपोर्ट सिस्टम, भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय
- 77-81 महाप्रबंधक अभि, भा.वि.प्रा., उत्तरी क्षेत्र / पश्चमी क्षेत्र / पूर्वी क्षेत्र / दक्षणी क्षेत्र / उत्तर पूर्वी क्षेत्र, क्षेत्रीय मुख्यालय।
- 82 महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी), सफदरजंग हवाई अड्डा।
- 83-92 एम आई एस (सिविल) एवं एम आई एस (विद्घुत)- उत्तरी क्षेत्र / दक्षणी क्षेत्र / पश्चमी क्षेत्र/ पूर्वी क्षेत्र/ उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय।